भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3556
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 मार्च, 2026 को दिया जाना है

नोटरी पोर्टल का डिजिटल आधुनिकीकरण

3556. श्री दिलेश्वर कामैत :

श्री आशीष दुबे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोटरी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नोटरी पोर्टल के माध्यम से कौन-कौन सी विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही है ;

(ख) उक्त पोर्टल के माध्यम से कितने डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं ;

(ग) दस्तावेजों के सत्यापन और नवीकरण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(घ) क्या पोर्टल के दायरे का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त डिजिटल मॉड्यूल प्रस्तावित हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : सरकार ने नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने हेतु एक समर्पित मंच के रूप में नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य नोटरी और सरकार के बीच विभिन्न सेवाओं जैसे नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करना, नोटरी के रूप में नियुक्ति की पात्रता का सत्यापन, नोटरी के रूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करना, व्यवसाय प्रमाणपत्र

का नवीनीकरण, व्यवसाय क्षेत्र में परिवर्तन, वार्षिक विवरणी जमा करना आदि के लिए एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस प्रदान करना है। नोटरी पोर्टल एक पहचानविहीन, कागज रहित, पारदर्शी और कुशल प्रणाली प्रदान करता है। वर्तमान में, केवल दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता सत्यापन तथा नव नियुक्त नोटरियों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मॉड्यूल ही सक्रिय है। नोटरी पोर्टल के शुभारंभ से पहले, व्यवसाय प्रमाणपत्र नोटरियों को भौतिक रूप से जारी किए जाते थे। 06.03.2026 तक, नोटरी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नव नियुक्त नोटरियों को 36,269 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।
